तलाक़ कब और कैसे?

इस्लामी दृष्टिकोण

शम्स पीरज़ादा (रह.)

हिन्दी अनुवादः

मुहम्मद नसरूल्लाह (एम.ए.)

इदारा दाअ्वतुल क़ुरआन

५९, मुहम्मद अली रोड, बम्बई - ४०० ००३

फोन : २३४६५००५

2nd Edition. 4000 **Price Rs. 6/-**
October. 2006

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

प्रकाशक के शब्द

अल्लाह तआला को हलाल और जायज़ चिज़ों में सब से ज़्यादा नापसंद तलाक़ है। समाज में तलाक़ का रिवाज कम से कम रहे इस लिए क़ुरआन पाक में तलाक़ देने का तफसीली तरीक़ा (proceedure) दिया गया है। और पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस विषय में आदेश भी दिये हैं। लेकिन विडंबना यह है कि मुस्लिम समाज में एक साथ तीन तलाक़ देने का रिवाज आम है और बहुसंख्य मुस्लिम इस को सही समझते है,जब की एक साथ तीन तलाक़ देना इस्लामी शरिअत के अनुसार गुनाह है। ऐसी घटनाओं को भारतीय मिडिया भी ख़ूब उछालता है। उनको मुसलमानों कि आँख का तिनका तो दिखाई देता है। परन्तु अपनी आँख कि शहतीर दिखाई नहीं देता। हमारी कितनी ही ग़ैर मुस्लिम बहनें हैं जो आये दिन अत्याचार का शिकार होती रहती हैं। उन्हें अपने पति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए बहुत बर्ष लग जाते हैं। एक ग़ैर मुस्लिम बहन को न्यायालय से तलाक़ प्राप्त करने के लिए चालीस बर्ष बाद पति से छुटकारा मिला। महिला ने न्यायाधीश से प्रश्न किया कि क्या आप मेरी जवानी के चालीस बर्ष वापस लौटाऐं गें? इस लिए हमारा ग़ैर मुस्लिम भाईयों से अनुरोध है कि वे इस्लामी शरिअत का अध्ययन करें और समाज कि दृष्टि से उस में जो भलाईयां हैं उस को समझें।

इस्लामी शरिअत तमाम मानवजाती के लिए रहते संसार तक रहमत बन कर आई है। लेकिन मुसलमान उस का ग़लत परिचय करा कर और भी गुनहगार हो रहे हैं। इस्लाम पर प्रवचन देने वाले और मस्जिदों के इमाम भी अपनी जिम्मेदारी से ग़ाफिल हैं।

तलाक़ कि समस्या से मुस्लिम समाज में जागृक्ता पैदा हो इस लिए मौलाना शम्स पीरज़ादा (रह.) ने यह पुस्तिका ‘‘तलाक़ कब और कैसे’’ लिख कर बड़ी जरूरत को पूरा किया है।

अल्लाह तआला उन की इस कोशिश को क़ुबूल करे। और तलाक़ के सिलसिले में मुस्लिम समाज में जागृक्ता और सही समझ पैदा हो। (आमीन)

शहाब बानकोटी
सिकरेट्री
इदारा दअ्वतुल क़ुरआन

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ؕ

अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है

दो शब्द

तलाक़ को इस्लाम ने बहुत ही नापसंदीदा ठहराया है, इस्लाम के नजदीक यह अत्याधिक अप्रिय है। इस मामले में सावधानी बरतने की ताकीद करते हुए उसने उन तदबीरों तथा उपायों की निशानदही की है जो पति पत्नी के बीच मन मुटाव होने की सूरत में परस्पर मेल मिलाप करने पर आमादा कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी परिस्थिति में जब कि तलाक़ के सिवा कोई चारा न रह जाए तलाक़ रूपी अधिकार के इस्तेमाल का सही तरीक़ा भी बतला दिया है। इस सिलसिले की बुनियादी बात यह है कि इस्लाम ने एक समय में केवल एक तलाक देने की अनुमति दी है किन्तु आम मुसलमानों की बड़ी तादाद इस्लाम के इन अहकाम (आदेशों) से अनजान है। तथा नैतिक एवं सामाजिक बिगाड़ के कारण कितने ही लोग तलाक़ का ग़लत और बेजा इस्तेमाल करते हैं। एक के बजाये एक साथ तीन तलाकें दे देते हैं और बाद में पछताने लगते हैं। इन हालात को देखते हुए इस बात की बड़ी आवश्यकता महसूस होती है कि तलाक़ से सम्बन्धित इस्लाम के नियमों और आदेशों से लोगों को परिचित कराया जाए और उन्हें बताया जाए कि इसके इस्तेमाल का सही तरीक़ा क्या है। यह पुस्तिका इसी उद्देश्य से संकलित की गई है किन्तु यह इस लिहाज़ से भी लाभदायक हो सकती है कि जो लोग मुसलमानों में प्रचलित ग़लत रीतियों अथवा ग़लत तरीक़ों को देख कर इस्लाम की सामाजिक व्यवस्था पर आपत्तियाँ जड़ने लगते हैं तथा उसके विरोध पर उतर आते हैं उन पर यह बात दो और दो चार की तरह स्पष्ट हो जाए कि इस्लाम ने तलाक़ का कैसा नियम दिया था, और लोगों ने कैसा रवैय्या अपना रखा है।

अल्लाह से दुआ है कि यह पुस्तिका लोगों के मन में बैठी व्यर्थ की भ्रांतियों को दूर करने तथा विचारों को सुधारने में सहायक हो।

शम्स पीरजादा,बम्बई
१२,रबीउलअव्वल१४०६ हिजरी
२६, नवम्बर १९८५ ई.

निकाह एक प्रतिज्ञा

निकाह वह मज़बूत रिश्ता है जिसमें मर्द और औरत शरीअत के कानून के अनुसार बंध जाते हैं। इस रिश्ते के गहरे प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ते हैं इस लिए इस्लाम चाहता है कि यह रिश्ता अधिक से अधिक मज़बूत हो, अत: क़ुरआन मजीद में इसे पक्का इकरार कहा गया है।

وَاَخَذۡنَ مِنۡكُمۡ مِّيۡثَاقًا غَلِيۡظًا

अर्थ : *''और वे तुम से पक्का इकरार ले चुके हैं।''* (सूरह निसा - २१)

इस संबंध को अल्लाह तआला ने पति पत्नी के बीच प्यार एवं स्नेह तथा प्रेम एवं दयाभाव का साधन बनाया है ताकि वे सुकून और शान्ति की प्राप्ति कर सकें और ख़ुशगवार ज़िन्दगी गुजार सकें।

وَجَعَلَ بَيۡنَكُمۡ مَّوَدَّةً وَّرَحۡمَةً ؕ

अर्थ : *''और उसने तुम्हारे बीच प्रेम और दया (की भावना) पैदा कर दी।''* (रूम - २१)

هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِيَسۡكُنَ اِلَيۡهَا ۚ

अर्थ : *''वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वह उसके पास सुकून हासिल करें।''* (सूरह आ'राफ़ - १८९)

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمۡ وَاَنۡتُمۡ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ

अर्थ : *''वे तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो।''* (सूरह बक़र - १८७)

अर्थात् मियाँ बीवी के बीच चोली दामन का रिश्ता है और जिस तरह लिबास

शरीर को ढांपता है साथ ही उसकी सुन्दरता को बढ़ाता है उसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के दोषों को ढांपते हैं और एक दूसरे की सुन्दरता एवं महत्त्व को बढ़ाते हैं।

जीवन संगिनी के साथ सुन्दर बर्ताव

निकाह के इस महत्व और इसके महान उद्देश्यों के चलते आवश्यक है कि इस रिश्ते को हमेशा बाक़ी रखने तथा पति पत्नी के संबंध को निभाने के प्रयास किए जाऐं। मात्र इस कारण कि औरत सुन्दर एवं आकर्षक नहीं है या उसके स्वभाव में कोई कमी है इतने मजबूत रिश्ते को समाप्त करने का फ़ैसला करना सही नहीं। क़ुर्आन में निर्देश दिया गया है कि :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ

تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيرًا كَثِيرًا ۔ (سورہ نساء:١٩)

अर्थ : *''उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, अगर वे तुम्हें नापसन्द हों तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसन्द न हो और अल्लाह ने उसमें बहुत कुछ भलाई रख दी हो।'* (सूरह निसा - १९)

ऐसा हो सकता है कि पत्नी सुन्दर या आकर्षक न हो, लेकिन चरित्रवान हो और ऐसा भी हो सकता है कि उसके स्वभाव में कोई कमी या ख़राबी हो किन्तु उसके अन्दर कुछ दूसरे अच्छे गुण पाए जाते हों जो दाम्पत्य जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हों, जैसे यह कि पति से उसे बेहद लगाव हो और उसकी सेवा करने में वह कोई कसर उठा न रखती हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद है–

لَايَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُوْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ ۔ (مسلم)

अर्थ : *''कोई ईमान वाला किसी ईमान वाली से नफ़रत न करे, अगर उसका एक स्वभाव नापसन्दीदा होगा तो दूसरा स्वभाव पसन्दीदा होगा।''* (मुस्लिम)

यह वास्तविकता भी सामने रहे कि औरतें आम तौर से जज़्बाती एवं भावुक होती हैं इसलिए बहुत जल्दी ग़लत फ़हमी का शिकार हो जाती हैं जिसके चलते घरेलू जीवन में कुछ समस्याऐं उत्पन्न हो जाती हैं। परन्तु क़व्वाम अर्थात घर के प्रबंधक की हैसियत से मर्द का काम यह है कि वह मामले को उलझने न दे। हदीस है–

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَاِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَاِنَّ

اَعْوَجَ شَیْءٍ فِی الضِّلْعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ

وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَآءِ ۔ (بخاری)

अर्थ : *''औरतों के साथ अच्छा सुलूक करो क्यों कि औरत को पसली से पैदा किया गया है और पसली का सबसे टेढ़ा भाग ऊपर वाला होता है। अगर तुम उसे सीधा करने जाओगे तो तोड़ तोड़ कर रख दोगे अगर उसे अपने हाल पर छोड़ दोगे तो टेढ़ी ही रहेगी अतः औरतों के साथ बेहतर सुलूक करो।''* (बुखारी)

इस उदाहरण में औरतों के अन्दर समझ की कमी और उनके स्वभाव की ख़राबी की ओर इशारा किया गया है और मर्द को संयम और दरगुज़र से काम लेने का निर्देश दिया गया है। हदीस का मन्शा औरतों को गिराना नहीं बल्कि उनके स्वभाव की रिआयत करना है।

तलाक़ से उत्पन्न होने वाली समस्याऐं

देखने में आया है मर्द बीवी के साथ मामूली नोक झोंक पर तलाक़ दे देते हैं। यह उनका बस एक जज्बाती फ़ैसला होता है न कि सोचा समझा फ़ैसला। हालांकि तलाक़ उस मज़बूत रिश्ते को काट देने का फ़ैसला है जिस में मर्द औरत निकाह के द्वारा बंध गए थे तथा तलाक़ देने का मतलब एक के बाद एक समस्याओं को बुलावा देना है। जैसे :–

(१) पति और पत्नी के गहरे मेल मिलाप के बाद जुदाई दोनों के लिए अत्यंत मानसिक तनाव और परेशानी का कारण बन जाती है, दिल ज़ख्मी हो जाते हैं। मतलब यह कि तलाक एक ऐसा आपरेशन है जो जुड़े हुए

दो दिलों को अलग करता है। जब कि आप्रेशन आदमी मजबूरी की ही हालत में करता है। उसे पसन्दीदा कोई भी नहीं समझता। इसलिए यह आप्रेशन अनिवार्य आवश्यकता के बग़ैर नहीं करना चाहिए।

(२) औरत के लिए दूसरे विवाह की समस्या पैदा हो जाती है और हमारे मौजूदा समाज में कम ही लोग इस बात के लिए आमादा होते हैं कि वे तलाक़ पाई औरतों से विवाह करें। परिणाम यह कि ऐसी औरतों को बिना निकाह के जीवन बिताना पड़ता है।

क़ुर्आन नाज़िल होने के समय तलाक़ शुदा औरतों से निकाह को बुरा नहीं समझा जाता था किन्तु हमारी मौजूदा सोसाइटी में इसे बुरा समझा जाता है इसलिए तलाक़ की स्थिति में औरतों को असाधारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

(३) औरत के लिए गुज़र बसर की समस्या पैदा हो जाती है। आज के हालात और आज की सामाजिक व्यवस्था ने रिहाइश के मसले को इतना मुश्किल बना दिया है कि किसी व्यक्ति के लिए रिहाइश का इंतिज़ाम करना आसान नहीं रहा। औरत चाहे मैके चली जाए या भाई के घर चली जाए, बड़े शहरों में जहाँ आम तौर से एक परिवार एक कमरे की ज़िन्दगी गुज़ारने पर मजबूर है, अतिरिक्त परेशानी का कारण औरत के निर्वाह ख़र्च की ज़िम्मेदारी निकटतम संबंधियों पर डाली है। किन्तु मौजूदा समाज में जब कि लोगों में कर्तव्य निभाने तथा अधिकार देने के प्रति बेपरवाही का चलन आम सा है, औरत को अपने ख़र्च के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

यही वे परिस्थितियाँ हैं जिस से ग़लत फ़ायदा उठा कर शरीअत से कित्ने लोग इस्लाम के नुफ़्क़े के क़ानून को बदलने पर उतारू हो गए हैं। अत: मुसलमानों को यह पता होना चाहिए कि मौजूदा ज़माने में तलाक़ किस प्रकार की समस्याऐं पैदा करती है और इसके क्या प्रभाव समाज पर पड़ते हैं।

(४) औलाद होने की सूरत में उसकी परवरिश का मसला भी खड़ा हो जाता है। पहली बात तो यह कि माँ बाप की जुदाई का असर बच्चों के कोमल मन पर अच्छा नहीं पड़ता, इस के अलावा यह भी कि बच्चों को माँ के सुपुर्द करने का मामला अधिकांश झगड़े तक पहुँच जाता है। इन्हीं कारणों

के आधार पर तलाक़ को एक नापसन्दीदा चीज़ ठहराया गया है। हदीस में आता है :

اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰہِ الطَّلَاق

अर्थ : *''अल्लाह के निकट हलाल चीज़ों में सर्वाधिक नापसन्दीदा चीज़ तलाक़ है।''* (अबूदाऊद)

तलाक़ के मामले में असावधानी

सच्चाई यह है कि लोग तलाक़ के मामले में अत्याधिक लापरवाह हो गए हैं। बिना सोचे समझे ताव में आ कर तलाक़ देना, तलाक़ देने के बाद भी मह्र अदा न करना, एक साथ तीन तलाक़ देना, इसके बाद हलाला कराने का ग़ैर शरअी तरीक़ा अपनाना, ऐसी ख़राबियां हैं जिनके सुधार की ओर शीघ्र ध्यान देने की ज़रूरत है।

इस्लाम ने मर्द को तलाक़ का जो अधिकार (Power) दिया है उसको अन्धाधुन्ध तरीक़े से इस्तेमाल करना बड़ी ग़ैर जिम्मेदाराना बात है।

तलाक से पहले सुधार की तदबीरें

अगर पति पत्नी के बीच शिकवा शिकायत की सूरत पैदा हुई हो और निभना मुश्किल हो रहा हो तो इस सूरत में इस्लाम की हिदायत यह है कि तलाक़ का फ़ैसला तुरन्त न कर लिया जाए बल्कि सुधारने के सभी प्रयत्न किए जाऐं और यदि आवश्यक हो तो उचित रूप से सख़्ती भी बरती जाए। इस सिलसिले में क़ुर्आन ने जिन तदबीरों को अपनाने की हिदायत की है वे ये हैं।

وَالّٰتِی تَخَافُوْنَ نُشُوْزَھُنَّ فَعِظُوْھُنَّ وَاھْجُرُوْھُنَّ فِی
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِ بُوْھُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَیْھِنَّ
سَبِیْلًا اِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیْرًا ۔ (سورہ نساء۔ ۳۴)

अर्थ : *''जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उनको समझाओ (अगर न समझें तो) सोने में उनको अकेला छोड़ सकते हो और (ज़रूरत*

महसूस हो तो सज़ा के तौर पर) उनको मार भी सकते हो फिर यदि वे तुम्हारा कहा करने लगें तो उनके विरूद्ध कोई बहाना न ढूंढो। यक़ीन जानो अल्लाह बहुत बुलन्द और बहुत बड़ा है।''

(सूरह निसा - ३४)

इस आयत में पति को पत्नियों की नाफ़रमानी की सूरत में तीन तदबीरें अपना सकने की हिदायत की गई है । एक यह कि समझाया बुझाया जाए अर्थात ऐसी बातें की जाऐं जो मन मस्तिष्क को सीधी और सुधार की बात स्वीकार करने पर आमादा कर सकें। यदि इसमें सफलता न मिले तो दूसरी सूरत अपनाई जाए कि उनको उनके बिस्तरों पर अकेला छोड़ दिया जाए ताकि बीवी समझ ले कि उसका शौहर उससे नाराज़ है। अगर यह तदबीर भी कारगर न हो तो फिर मारने के लिए हाथ उठाया जा सकता है। लेकिन यह मारना गुस्सा झाड़ने के लिये नहीं बल्कि उन्हें डराने और सुधारने के उद्देश्य से होना चाहिए और वह भी हल्के हाथ से। बेजा और अत्याचार स्वरूप औरत को मारने की कड़ी मनाही है। हदीस में इर्शाद हुआ है :

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ۔(ابوداؤد)

अर्थ : *''चेहरे पर मत मारो - बुरा भला न कहो और उसे अलग न छोड़ो सिवाय इसके कि यह अलगाव घर के अन्दर हो।''* (अबूदाऊद)

एक दूसरी हदीस में है :

فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ۔(مسلم)

अर्थ : *''उनको मारो मगर इस तरह नहीं कि सख्त और पीड़ादायक हो।''* (मुस्लिम)

मर्द को यह अधिकार वास्तव में औरत को नैतिक सीमा में रखने और घर के प्रबंध एवं व्यवस्था को ठीक ठाक रखने के लिए दिया गया है। इसका मन्शा यह हरगिज़ नहीं कि ज़रा ज़रा सी बात पर पति पत्नी को पीटने लगे और इस अधिकार का इस्तेमाल मन माने तरीक़े पर करने लगे। इस तीसरे प्रयत्न के बाद भी यदि सुधार की कोई सूरत न निकल सके और तनाव बढ़ ही रहा हो तो फिर

एक और तदबीर करने का आदेश दिया गया है और वह है पंच के द्वारा मामला बनाने की कोशिश।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا۔(سورہ نساء۔۳۵)

अर्थ : *''और यदि तुम्हें पति पत्नी के बीच अलगाव का भय हो तो एक हकम (पंच) पुरुष के सम्बन्धियों में से और एक हकम (पंच) औरत के सम्बन्धियों में से तय करो। अगर दोनों सुलह करना चाहेंगे तो अल्लाह दोनों के बीच लगाव पैदा कर देगा। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हर बात की ख़बर रखने वाला है।''* (सूरह निसा - ३५)

मतलब यह कि मामला अगर जुदाई तक पहुँच रहा हो तो तलाक़ देने में जल्दी न की जाए बल्कि अब भी एक तदबीर और कर देखी जाए। वह यह कि पति और पत्नी दोनों के रिश्तेदारों में से एक एक पंच नियुक्त किया जाए और ये दोनों सुलह सफ़ाई की कोशिश करें। अगर सच्चे मन से यह कोशिश की गई तो अल्लाह तआला जुड़ने की कोई सूरत ज़रूर पैदा फ़रमाएगा। अदालत की तुलना में पंच का यह तरीक़ा इस लिए भी मुनासिब है कि पंच जब दोनों परिवारों के ज़िम्मेदारों पर आधारित होगा तो उस में समझौता हो जाने की अधिक संभावना है तथा इस के द्वारा पति पत्नी के विवाद को सब के सामने आने से भी बचाया जा सकेगा।

तलाक़ किस तरह दी जाए

यह आख़िरी तदबीर भी यदि असफल एवं बे असर रहे और निभने की कोई सूरत न निकल सके तो पति अपने तलाक़ के अधिकार को इस्तेमाल कर सकता है और पत्नी को अधर में लटकाए रखने के मुक़ाबले में तो औरत को निकाह की क़ैद से आज़ाद करना ही बेहतर है। इस्लाम ने तलाक़ की राह इस लिए खुली रखी है कि मर्द के लिए पाकीज़ा ज़िन्दगी गुज़ारने और नैतिक सीमाओं की पाबन्दी करने में कोई रुकावट न रहे। इस प्रकार औरत को भी ख़ुलअ का अर्थात अदालत के द्वारा निकाह समाप्त कराने का हक़ दिया गया

है ताकि वह भी दीनी और अख़लाकी हदों को क़ायम रख सके।

तलाक़ का फ़ैसला करने की सूरत में मर्द को चाहिए कि तलाक़ देने का शरई तरीक़ा अपनाए और बेहतर यह है कि तलाक़नामा लिख दे। तलाक़ देने का सही तरीक़ा यह है कि:

(i) तलाक़ तुहर की हालत (अर्थात माहवारी के बाद पाकी की हालत) में दी जाए जिसमें सहवास न किया हो।

माहवारी के दिनों में तलाक़ देने की हदीस में मनाही आई है और इस की मसलहत यह है कि माहवारी में औरत की ओर झुकाव नहीं होता और पाकी की हालत में इस की संभावना है कि पति का दिल पत्नी की ओर आकृष्ट हो और वह तलाक़ देने का ख़याल दिल से निकाल दे।

(ii) केवल एक तलाक़ दी जाए अर्थात् पति पत्नी से कहे कि ''मैंने तुझे तलाक़ दी'' इस में किसी गिनती की वृद्धि हरगिज़ न करें।

अगर तलाक़ नामा लिखा जा रहा हो तो उसमें एक तलाक़ का स्पष्टीकरण किया जाए।

(iii) तलाक़ न्यायप्रिय गवाहों की मौजूदगी में दी जाए। सूरह तलाक़ में इर्शाद हुआ है : وَاَشْهِدُوْا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ ۔

अर्थ : *'अपने में दो न्यायप्रिय आदमियों को गवाह बना लो।'' (सूरह तलाक़ -२)*

(iv) तलाक़ देने के बाद इद्दत गुज़ारना होगी। इद्दत वह मुद्दत है जिसमें औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती और पति पर यह लाज़िम आता है कि वह इद्दत ख़त्म होने से पहले उसे घर से न निकाले और उसके खाने, पहनने, रहने का प्रबन्ध करे। इसी प्रकार औरत पर भी अनिवार्य है कि वह इद्दत पति के घर में गज़ारे। इद्दत तीन हैज़ (माहवारी) है। क़ुर्आन में इर्शाद हुआ है–

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ۔ (سورۂ بقرہ۔۲۲۸)

अर्थ : *''और जिन औरतों को तलाक़ दी गई है वे तीन माहवारी तक अपने आप को रोके रखें।''* (बकर: - २८८)

जब तीसरी माहवारी ख़त्म हो जाए तो इद्दत ख़त्म हो जाती है। और अगर

माहवारी न आती हो तो तीन क़मरी माह अर्थात् जिस दिन से तलाक़ दी हो उस दिन से तीन क़मरी माह ग़ुजरने तक की मुद्दत।

وَالّٰٓـئِیْ يَـئِسْـنَ مِـنَ الْـمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُاَشْهُرٍوَّالّٰئِیْ لَمْ يَحِضْنَ۔ (سورہ طلاق۔۴)

अर्थ : *''और तुम्हारी औरतों में से जो माहवारी से मायूस हो चुकी हों, अगर तुम्हें संदेह है तो उनकी इद्दत तीन महिने है और जिन को माहवारी नहीं आई है उन की इद्दत भी यही है।''* (सूरह तलाक़ - ४)

अगर औरत गर्भवती है तो उस की इद्दत प्रसव तक है।

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ (سورۂ طلاق۔۴)

अर्थ : *'और गर्भवती औरत की इद्दत प्रसव होने तक है।'' (सूरह तलाक़ -४)*

(v) इद्दत के दौरान आदमी अपनीपत्नी को पुन:स्वीकर कर सकताहै,दोबारा स्वीकार (रुजूअ) करते समय दो न्यायप्रिय आदमियों को गवाह बना लिया जाए !

(iv) अगर इद्दत के दौरान रुजूअ (स्वीकार) नहीं किया तो इद्दत गुज़रते ही औरत मर्द से जुदा हो जाएगी किन्तु यह एक तलाक़ (बाइन) होगी । इस के बाद अगर मर्द और औरत दोनों चाहें तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। अर्थात् इद्दत गुज़ारने पर मर्द को सीधे रुजूअ (स्वीकार) करने का अधिकार तो नहीं रहा अलबत्ता यदि मर्द औरत को पुन: अपनी पत्नी बनाना चाहता है तो उस के लिए यह मौक़ा बाक़ी है कि वह उस औरत की रिज़ामन्दी से दोबारा उस से निकाह कर सकता है।

क़ुर्आन और सुन्नत के अनुसार तलाक़ का यह सही और बेहतर तरीक़ा है। इस सूरत में मर्द को सोचने समझने का काफ़ी समय मिल जाता है और पछताने की नौबत नहीं आती। फ़ुक़हा अर्थात् इस्लामी धर्मशास्त्रियों ने ऐसी तलाक़ जो एक हो और पाकी की हालत में बिना सहवास किए दी हो और इद्दत के दौरान दूसरी और तीसरी तलाक़ की वृद्धि न की हो बल्कि एक तलाक़ दे कर इद्दत पूरी करने के लिए छोड़ दिया हो, 'तलाक़ सुन्नत' बताया है। मुग़नी में है :

وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة

ثم يدعها حتى تنقضى عدتها۔(مغنی ابن قدامہ ج ۷ ص ۹۸)

अर्थ : *''सुन्नत तलाक़ यह है कि औरत को पाकी की हालत में जिसमें सहवास न किया गया हो एक तलाक़ दे फिर उस को उसी हालत में छोड़ दे यहाँ तक कि इद्दत गुज़र जाए।''* (अलमुग़नी इब्ने कुद्दामः Vol. 7, Page 98) और हिदायः में है:

فالاحسن ان يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدةفى طهر لم

يجامعها فيه ويتر كها حتىٰ تنقضى عد تها لان الصحا بة

رضى الله عنهم كانوا يستحبون ان لا يزيدوا فى الطلاق

على واحدة حتى تنقضى العدة۔ (ہدایہ ج ۱ ص ۱۷۹)

अर्थ : *''तलाक़ का सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि आदमी अपनी पत्नी को एक तलाक़ दे और वह भी उस समय जब कि औरत पाकी की हालत में हो और उसने उस हालत में सहवास न किया हो। फिर उसी हालत में उसे छोड़ दे यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो जाए। यह तरीक़ा इस लिए बेहतर है कि सहाबा (अल्लाह उनसे राजी हुआ) इसी को पसन्द करते थे कि एक तलाक़ से अधिक न दें यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो जाए।''* (हिदायः Vol. 1, Page 179)

दूसरी तलाक़ कब दी जाए

दूसरी तलाक़ किसी दूसरे अवसर पर देने के लिए है। मतलब यह कि अगर पति ने एक तलाक़ देने के बाद रुजूअ कर लिया था अर्थात् उसे स्वीकार कर लिया था किन्तु उसके बाद भी किसी तरह निभाह न हो सका अर्थात् निर्वाह न हो सका तो फिर वह उसी विधि के अनुसार जो ऊपर बताया गया है दूसरी तलाक़ दे सकताहै जिसके बाद औरत को फिर इद्दत गुज़ारना होगी। इस इद्दत के दौरान मर्द चाहे तो फिर रुजूअ कर सकता है अर्थात् बग़ैर निकाह किये उसे पुन: अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता है और अगर इद्दत गुज़र गई

तो औरत की रज़ामन्दी से आदमी दोबारा निकाह कर सकता है।

जिन तलाक़ों में मर्द को रुजूअ (अर्थात् पत्नी को वापस लेने) का हक़ होता है वह पहली और दूसरी बार दी गई तलाकें हैं अर्थात् दो अलग अलग समयों में दी गई तलाकें हैं। क़ुर्आन मजीद में फ़रमाया गया है।

اَلطَّلَاقُ مَرَّ تٰنِ فَاِمۡسَاکٌ ۢبِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡتَسۡرِ یۡحٌ ۢبِاِحۡسَانٍ۔(سورۂ بقرہ۔۲۲۹)

अर्थ : *''तलाक़ दो बार है, फिर या तो भले तरीक़े से औरत को रोक लिया जाए या अच्छे तरीके से उसे रुख़्सत कर दिया जाए।''* (सूरह बक़रः २२९)

तीसरी तलाक़ कब दी जा सकती है

अगर दूसरी बार तलाक़ देने के बाद शौहर ने रुजूअ कर लिया अर्थात् पत्नी को पुन: स्वीकार कर लिया और फिर कोशिश के बावजूद निर्वाह न हो सका और वह तलाक़ देना चाहता है तो उसे अब पहले से कहीं अधिक सोच समझ कर फैसला करना चाहिए क्यों कि यह तीसरी बार की तलाक़ है जिस में न मर्द को रुजूअ (स्वीकार कर लेने) का हक़ है और न इद्दत गुज़र जाने पर दोबारा निकाह ही हो सकता है, जब तक कि औरत किसी अन्य व्यक्ति से निकाह न कर ले। क़ुर्आन में इर्शाद हुआ है :

فَاِنۡ طَلَّقَهَافَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنۡۢ بَعۡدُ حَتّٰى تَنۡكِحَ زَوۡجًا

غَيۡرَهٗ ۔(سورۂ بقرہ۔۲۳۰)

''अर्थ : *''फिर (अर्थात् इन दो बार की तलाक़ों के बाद) अगर उसने (तीसरी बार) तलाक़ दी तो वह औरत उसके लिए जायज नहीं होगी जब तक कि वह किसी दूसरे शौहर से निकाह न कर ले।''* (सूरह बकरः २३०)

तीसरी बार की इस तलाक़ के आदेश बहुत सख़्त हैं और इसको तलाक़ मुग़ल्लज़ा बाइना कहते है। यह तलाक़ न केवल बाइन (जुदा करने वाली)

(Irrevocable) है बल्कि साथ ही ऐसी सख़्त (Absolute) है कि मर्द और औरत आपस की रिज़ामन्दी से दूसरा निकाह भी नहीं कर सकते जब तक कि औरत दूसरे शौहर से निकाह न कर ले और वह अपनी मर्जी से (न कि पहले से सोचे समझे मन्सूबे के तहत) उसे तलाक़ न दे दे या उस की मृत्यु न हो जाए । अगर यह दूसरा शौहर इत्तिफ़ाक से उसे तलाक़ दे देता है या उस की मौत हो जाती है और यह औरत अपने पहले शौहर के पास आना चाहती है तो उस के साथ नया निकाह कर सकती है।

तलाक़ देने का ग़लत तरीक़ा

आम तौर से लोग शरीअत के आदेशों से अनभिज्ञ होने के कारण और भावनाओं में बह कर एक साथ तीन तलाक़ें दे डालते हैं और बाद में पछताने लगते हैं। तलाक़ देने का यह तरीक़ा सुन्नत के ख़िलाफ़ है इस लिए ऐसी तलाक़ को तलाक़े बिदअत कहते है। एक साथ तीन तलाक़ें देने से एक ही तलाक़ पड़ती है या तीन इसमें उलमा के बीच मतभेद है। इस लिए समझदारी और सलामती की राह यही है कि मर्द तीन तलाक़ें एक साथ न दे।

आम तौर से लोग इस ग़लतफ़हमी में लिप्त हैं कि 'तीन तलाक़' कहे बग़ैर तलाक़ होती ही नहीं और कुछ क़ाजी हज़रात भी तलाक़नामे में तीन तलाक़ लिख देते हैं लेकिन यह तरीक़ा बिलकुल ग़लत है और ज़रूरी है कि इसका सुधार किया जाए !

शरअी क़ानून से मुसलमानों की बेपरवाही

क़ुर्आन में तलाक़ के अहकाम (आदेश) बयान करने के बाद ख़ास तौर से हिदायत की गई है कि

وَلَاتَتَّخِذُوْٓا اٰیٰتِ اللّٰہِ ھُزُوًا۔ (سورۂ بقرہ۔۲۳۱)

अर्थ : *''अल्लाह की आयतों (अहकाम) को मजाक़ न बनाओ।'' (सूरह बक़रा - २३)*

وَتِلْکَ حُدُوْدُاللّٰہِ وَمَنْ یَّتَعَدَّحُدُوْدَاللّٰہِ

فَقَدْظَلَمَ نَفْسَہٗ۔(سورۂ طلاق۔۱)

अर्थ : *''यह अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाऐं हैं, और जो कोई अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करेगा (तोड़ेगा) वह अपनी जान पर ज़ुल्म करेगा!''* (सूरह तलाक़)

और सूरह तलाक़ के आख़िर में अल्लाह के आदेश का उल्लंघन करने वालों को अज़ाब की कड़ी चेतानी सुनाई गई है। इन तमाम चेतावनियों एवं तम्बीहों के बावजूद आज मुसलमानों का हाल यह है कि उन की बड़ी संख्या शरीअत के आदेशों का उल्लंघन करती तथा उस के विपरीत चलती है और एक वर्ग तो खुले तौर पर शरीअत के क़ानून का मज़ाक उड़ाता है और उनको समाप्त करने पर तुला हुआ है। हालांकि एक मुसलमान अपने रब से प्रण कर चुका होता है कि वह उस के बताए हुए तरीक़े के अनुसार ज़िन्दगी गुज़ारेगा और उस के दीन और शरीअत को बुलन्द रखेगा। फिर आज स्वयं मुसलमानों के हाथों शरअी क़ानून का यह निरादर कैसा? यह बेहुर्मती कैसी??

Printed at:
Pixel Art Printers f / 19 Match Factory Lane
Kurla West Mumbai - 400070
Mobail : 9820790615